

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्र. ५४। / एफ—७—४० / ३१ / एस—२ / २०२१,

नवा रायपुर, दिनांक ०७ / ०२ / २०२२

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :— कोरिया जिले के विकासखंड—मनेन्द्रगढ़ की खटम्बर व्यपर्वत्तन योजना के नहर में
लाईनिंग, पक्के कार्य एवं मिट्टी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :— प्र.अ.का पत्र क्र.—15 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / २०२१ / १२१९, दिनांक ०५.०२.२०२१.

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरिया जिले के विकासखंड—मनेन्द्रगढ़ की खटम्बर व्यपर्वत्तन योजना के नहर में
लाईनिंग, पक्के कार्य एवं मिट्टी कार्य हेतु लागत राशि रु. 294.29 लाख (रूपये दो
करोड़ चौरानवे लाख उनतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 730 हेक्टेयर में 592 हेक्टेयर की हो रही कमी
की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार
योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात
निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन
को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है
कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें, तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा
प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—४१, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष ४७०२—लघु
सिंचाई पर पूँजी परिव्यय {१०१}-सतही जल, ०१०२—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —(३८२८) —लघु
सिंचाई योजना #९७— निर्माण कार्य, ००३—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५ / २०१२ अनुसार गठित समिति
की बैठक दिनांक ०३.०१.२०२२ में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन
प्राप्त की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि, के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित
करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- 8.. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता
सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

०३.०२.२०२२
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन


०३.०२.२०२२
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. ५८२ / एफ-७-४०/३१/एस-२/२०२१,

नवा रायपुर, दिनांक ०७/०२/२०२२

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



07/02/2022
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग